

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/1945 /

जबलपुर, दिनांक 16/06/2020

II-14-40/2020

कु. मनीषा प्रजापति, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ-ग्वालियर को अवकाश खाते में पर्याप्त अवकाश की पात्रता शेष न होने से दिनांक 15.11.2019 से 30.01.2020 तक 77 दिवस का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही/-
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/1946 /

जबलपुर, दिनांक 16/06/2020

II-14-40/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 1331/स्था. ग्वालियर दिनांक 06/03/2020 के संदर्भ में कु. मनीषा प्रजापति, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर का आवेदन पत्र एवं सहपत्रों सहित वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

:-:-

//A.L//